

बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।
सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि ९ सितम्बर, १९६६ को
पूर्वाह्न ९ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ ।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम "४"
के परन्तुक के अन्तर्गत प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा की मेज पर रखा जाना ।
श्री मुंगेरी लाल—महाशय, मैं तृतीय बिहार विधान-सभा के द्वादश सत्र
(फरवरी-अप्रैल, १९६६) के शेष ११७६ तारांकित प्रश्नों में से ८७ प्रश्नों के* लिखित
उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ ।

*उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखें ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

दोषपूर्ण नोटिफिकेशन ।

२। श्री खुबलाल महतो—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा
करेंगे कि :—

(१) क्या यह बात सही है कि कोशी जब १९१७ ई० में पूर्णियाँ और सहर्षा बोर्डर
से हटकर पश्चिम चली गई तब १९२६ ई० से १९३१ ई० के बीच कोशी दियारा का सर्वे
हुआ और उसके बाद कोशी धार उधर नहीं गई है;

(२) क्या यह बात सही है कि कोशी लैंड रेस्टोरेशन ऐक्ट जो बना है उसका मंशा
है कि १९३९ ई० से १९५० ई० के अन्दर जो जमीन कोशी उपद्रव के चलते जर्मीदारों ने
नीलाम करा लिया उसे किसानों को वापस करा दिया जाय;

(३) क्या यह बात सही है कि कोशी लैंड रेस्टोरेशन ऐक्ट को लागू करने के लिये जो
नोटिफिकेशन हुआ है वह दोषपूर्ण है जिसके चलते कोशी दियारा का सर्वे जहाँ हुआ है वहाँ
भी वही कानून लागू समझा जाता है जिसकी वजह से उक्त कानून की जो मंशा है उसकी
अवहेलना हुई है और वहाँ की जनता के साथ अन्याय हुआ है ;

(३) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पत्रांक के अनुसार अबतक मनिहारी एवं अमदाबाद प्रखंडों में कुल आठ नलकूप नहीं गड़वाये गये हैं ;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक तो कब तक गड़वा दिये जायेंगे; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री डुमरलाल बंठा—(१) १९६५-६६ वित्तीय वर्ष में पूर्णिया जिले को ५,२०० रु० का आवंटन नलकूप गाड़ने के लिये स्वीकृत हुआ है, लेकिन सरकार द्वारा नलकूपों की संख्या निर्धारित नहीं की गयी थी क्योंकि नलकूपों की संख्या उनके प्राक्कलन के अनुसार निर्धारित होती है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(३) ५,२०० रु० की राशि में अनुमानतः कुल २० नलकूप गाड़े जा सकते हैं । लेकिन पूर्णिया जिलाधिकारी द्वारा २४ नलकूपों की संख्या दी गयी है । उक्त संख्या में मनिहारी प्रखंड के लिये ५ एवं अमदाबाद प्रखंड के लिये ३ नलकूप सम्मिलित थे । नलकूप कम कर देने पर नीचे के क्रम से अमदाबाद प्रखंड के ३ एवं मनिहारी प्रखंड का १ नलकूप फिलहाल नहीं लिया जा सका ।

(४) २० स्वीकृत नलकूपों को तुरन्त गड़वाने की कार्रवाई जारी है ।

छात्रवृत्ति की चुकती ।

१२६० । श्री सभापति सिंह—क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री दीनानाथ प्रसाद, पुत्र राम लखन प्रसाद, जाति कहार डी० ए० बी० स्कूल, गोपालगंज, सारण से मैट्रिक प्रथम श्रेणी में १९६४ में पास किया है ;

(२) क्या यह बात सही है पिछड़ी जाति नम्बर एक में होने के कारण उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी ;

(३) क्या यह बात सही कि वह अभी गोपालगंज कालेज में प्राक्-कला (क्र मांक ८८) में पढ़ता है ;

(४) क्या यह बात सही है कि १९६४-६५ में उसे छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है ;

(५) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उस विद्यार्थी को इस सुविधा से क्यों वंचित किया गया और सरकार उसे कबतक छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है ?

श्री डुमर लाल बंठा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ;

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(३) १९६५-६६ सत्र में श्री दीनानाथ प्रसाद गोपालगंज कॉलेज में बी० ए०, भाग १ में पढ़ रहे थे ।

(४) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(५) सत्र १९६४-६५ में उक्त छात्र गोपालगंज कॉलेज के प्राक्-कला के छात्र थे। सारण जिले के अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिये १९६४-६५ में ६२० तथा १९६५-६६ में ४५७ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें १९६४-६५ सत्र में ८५ तथा १९६५-६६ सत्र में ५१ छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इन छात्रवृत्तियों को केंद्रीय छात्रवृत्ति समिति को सिफारिश प्राप्त कर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। छात्रों का चुनाव गरीबी-सह-योग्यता तथा छात्रों की पारिवारिक स्थिति आदि पर ध्यान देकर किया जाता है। केंद्रीय छात्रवृत्ति समिति ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन्हें छात्रवृत्ति देने की सिफारिश नहीं की। अब इन्हें १९६४-६५ तथा १९६५-६६ सत्रों के लिये छात्रवृत्ति दान करना संभव नहीं है।

छात्रवृत्ति की चुकती।

१२६१। श्री गुठली सिंह—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद जिलान्तर्गत सासाराम, रमा जैन उच्चांगल विद्यालय में सन् १९६५ में उषा कुमारी अष्टम वर्ग में पढ़ती थी ;

(२) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त छात्रा को सन् १९६५ में ७ रु० प्रतिमाह की दर से हरिजन छात्रवृत्ति सरकार द्वारा मंजूर की गई थी ;

(३) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त छात्रा को अभी तक सन् १९६५ की हरिजन छात्रवृत्ति की रकम का भुगतान नहीं किया गया है ;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त छात्रा को उपरोक्त प्रश्नों का हरिजन छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री डुमर लाल बैठा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उक्त छात्रा को सन् १९६५ में १० रु० प्रतिमाह की दर से छात्रावृत्ति की सिफारिश छात्रवृत्ति समिति ने दिनांक २०-२१ अक्टूबर, १९६५ की बैठक में की थी।

(३) उक्त छात्रा के आवेदन-पत्र में गत परीक्षाफल का प्राप्तांक तथा अन्य विवरण नहीं दिये गये थे। अतः आवेदन-पत्र की स्थानीय जांच करानी पड़ी, जिससे भुगतान में विलम्ब हुआ है।

(४) छात्रा को छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने के लिये आवश्यक कार्रवाई की गई है।

स्टाइपेंड की चुकती।

१२६२। श्री सूरज प्रसाद—क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री रामाश्रय सिंह पोलिटेकनिक, रांची के १९६३से १९६५ तक विद्यार्थी थे ;